



राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना (जगतपुरा) जयपुर के सेक्टर-07 में दिनांक 01.09.2020 से 31.10.2020 तक आरम्भ की गई मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2020 (GH-3 एवं GH-4) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदक तथा निवाई आवासीय योजना, पंजीकरण वर्ष 2020 (द्वितीय चरण) (जिला टॉक) में दिनांक 01.09.2020 से 31.10.2020 तक खोली गई पंजीकरण योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा दिनांक 28.12.2020 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका लॉटरी कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

लॉटरी कार्यक्रम

विवरण	दिनांक एवं समय
योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 17.12.2020 सायं 06:00 बजे
आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 22.12.2020 सायं 06:00 बजे तक
योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 24.12.2020 सायं 06:00 बजे
वरीयता निर्धारण लॉटरी	दिनांक 28.12.2020 प्रातः 11:00 बजे से
संबंधित स्थान	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर

नोट:-

1. यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण लॉटरी कार्यक्रम से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. इन्दिरा गांधी नगर एवं निवाई आवासीय योजना में प्राप्त आवेदनों में से प्रस्तावित आवासों के अनुपात में सफल आवेदकों का चयन करने हेतु वरीयता का निर्धारण कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार किया जावेगा।
4. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की सूची मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर भी उपलब्ध रहेगी।
5. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।